**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 693

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**अनुत्तीर्ण न करने की नीति को सीमित करना**

**693. श्री अनिल देसाईः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मंत्रालय से तीसरी कक्षा तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति को सीमित रखने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का अनुरोध करने वाली कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं;

(ग) क्या IX की कक्षा तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई में अत्‍यधिक कमजोर हैं और ये बच्चे सीबीएसई और राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय अनुत्तीर्ण न करने की नीति तीसरी कक्षा तक सीमित रखेगा?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): जी, हां। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार से कक्षा III तक फेल न किए जाने की नीति को सीमित करने का अनुरोध प्राप्‍त हुआ है। कुछ राज्‍यों नामत: असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्किम और त्रिपुरा ने केन्‍द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) जो नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार, अधिनियम (आरटीई) 2009 के फेल न किए जाने के प्रावधान के संदर्भ में सतत एवं व्‍यापक मूल्‍यांकन (सीसीई) के कार्यान्‍वयन का मूल्‍यांकन करने के उद्देश्‍य से गठित किया गया था, कि बैठक के दौरान फेल न किए जाने की नीति की समीक्षा करने का अनुरोध कर चुके हैं।

आरटीई अधिनियम की धारा 30(1) में प्रावधान है कि किसी भी बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा अर्थात् कक्षा VIII तक की पढ़ाई पूरी करने तक किसी बोर्ड परीक्षा उर्त्‍तीण करने की जरूरत नहीं है। केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और कक्षा Xवीं एवं XIIवीं के लिए अन्‍य बोर्डों के वर्ष 2009, 2012 और 2013 वर्षों के परिणामों की तुलना में यह पाया गया कि अधिकांश राज्‍यों की उर्त्‍तीण प्रतिशतता बढ़ी है। इसी प्रकार कक्षा XII के सीबीएसई छात्रों की उर्त्‍तीण प्रतिशतता लगातार अधिक रही है।

**\*\*\*\*\***